15

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–मा / संस्था / गोप्र / शालादर्पण / Online module/2020–21 दिनांक–18.08.2021

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन(APAR) शाला दर्पण मॉड्यूल से डिलीट किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि द्वितीय श्रेणी कार्मिक से प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत लोकसेवकों की सत्र 2020–21 की APAR ऑनलाईन शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से दिनांक 02.08.2021 से किया जा रहा है। चुकि APAR ऑनलाईन का कार्य प्रथमवार किया जा रहा है इसलिए लोकसेवक द्वारा यदि कोई गलत प्रविष्टी की है तो उसको सुधार हेतु संबंधित प्रतिवेदन को डिलीट करने हेतु संबंधित सीबीईओ / सीडीईओ लॉगिन पर डिलीट का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। कतिपय कार्यालयों से ज्ञात हुआ है कि लोकसेवक की APAR को बिना परीक्षण / बिना यथोचित कारण के डिलीट किया जा रहा है। जो कि किसी भी स्थिति में सही नहीं है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी लोकसेवक का प्रतिवेदन डिलीट करने के लिए लोकसेवक का प्रार्थना–पत्र संबंधित संस्थाप्रधान / नियन्त्रक अधिकारी से अग्रेसित होने की स्थिति में ही स्वीकार किया जाए। संबंधित सीबीईओ / सीडीईओ कार्यालय प्राप्त प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित कारण के परीक्षण उपरान्त संतुष्ट होने पर ही अग्रिम कार्यवाही करें।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / संस्था / गोप्र / शाला दर्पण / Online Module / 2020–21 दिनांक–18.08.21

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक
3. समस्त प्रधानाध्यापक(मा.वि.) / प्रधानाचार्य
4. स्टाफ ऑफिसर कार्या. हाजा.
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)